Continuation Note Sheet

7-22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील श्री अंग्रेजसिंह वाला द्वारा प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के मुआवजा की राशि जो अवार्ड में अंकित है एवं राजकोष में जमा है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। उस बाबत अप्रार्थी राजस्थान राज्य आद्योगिक विकास एवं विनियोजन (रीको) ने भी अपने जवाब में भी अवार्ड की उक्त राशि 14268671/– रूपये प्रार्थीगण को दिये जाने पर अनापत्ति जाहिर की गई है। उक्त अनापत्ति बाबत अप्रार्थी राजस्थान राज्य आद्योगिक विकास एवं विनियोजन (रीको) द्वारा अपना सहमति शपथपत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण को जमा मुआवजा राशि मय ब्याज अदा किया जावे एवं प्रार्थीगण के नाम चेक जारी किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0 (रीको) के द्वारा ग्राम पतिखियां में 32.256 है0 काश्तकारो की भूमि एवं 0.556 है0 रास्ताकुल 32.826 है0 भूमि रीको विस्तार हेतु मांग करने परप्रमुख शासन सचिव उद्योग (ग्रुप–1)राज0 जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27.01.2009 द्वारा प्रमुख शासन सचिव उद्योग राज0 जयपुर द्वारा भूमि अवाप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 की अधिसूचना जारी कर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया। इस कमर्मे धारा 5 ए के प्रावधानों के अन्तर्गत काश्तकारो की आपत्तियों का समाधान करते हुए 162943109/– (अखरे रूपये सौलह करोड़ उन्नतीस लाख तियालीस हजार एक सौ नौ मात्र) का संशोधित अवार्ड, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा दिनांक 18.09.2012 में जारी किया गया था।

प्रार्थीयान श्रीमती निर्मला पत्नी स्व0 सतपाल पुत्र देसराज, गगनदीप शर्मा, कुलदीप पिसरान स्व0 सतपाल, पवन दीप रानी पुत्री स्व0 सतपाल निवासीयान 13 एल एन पी तह0 व जिला श्रीगंगानगर (ढाणी ठाकरावाली) वारिसान स्व0 सतपाल पुत्र देसराज जाति ब्रह्मम्ण निवासी पतीखियां तह0 व जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.08.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि उक्त जारी संशोधित अवार्ड की सूची कमांक 12 अनुसार प्रार्थीयान के पुर्वज सतपाल के नाम से 2.530 है0 भूमि अवाप्त की गई थी जिसका का भुगतान प्रार्थीयान को आज तक प्राप्त नही हुआ है।

संशोधित अवार्ड, दिनांक 18.09.2012 के सूची कमांक 12 पर श्री सतपाल पि0 मु0 देशराज जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर के नाम कुल रकबा 2.404 है0 मौका पर सिंचित अवार्ड राशि 1,41,21,770 रूपये अंकित है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर के पत्रांक भूअ/1789 दिनांक 30.06.2022 व सरपच ग्राम पंचायत 18 एम एल हिरणावाली पं0स0 श्रीगंगानगर के पत्र GP18MML/2020-21/03 दिनांक 15.09.2020 द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र अनुसार स्व. श्री सतपाल पुत्र श्री देशराज जाति ब्राहमण निवासी मकान न0 101 वार्ड न 13 चक 13 एल एन पी तहसील व जिलाश्रीगंगानगर के श्रीमती निर्मला (पत्नी), गगनदीप शर्मा (पुत्र), कुलदीप (पुत्र) पवनदीपरानी (पुत्री) कुल 04 जायज वारिस है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के नोटिस कमांक 1208 दिनांक 24.06.2022 द्वारा सर्वसाधारण (सीमा [illegible] दिनांक 2[illegible] को सूचित किया गया था कि यदि उक्त जायज वारिसान के अलावा [illegible] कोई वारिसान है तो 10 दिवस में आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] किन्तु किसी के [illegible] भी आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है।

श्री सतपाल पुत्र श्री [illegible] के [illegible] वारिसान ने श्रीगगनदीप शर्मा ठाकरावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर को मुख्तयार खास नियुक्त किया है। श्रीगगनदीप शर्मा, व कुलदीर्प द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि सभी वारिसो ने सहमति से बैंक के संयुक्त खाता (एयु समाल फाईनेनश बैंक के खाता संख्या 2111228734979323) का चैक जारी करने व मुआवजा प्राप्त करने के उपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्मला
पवनदीपरानी
कुलदीप
Gdeep
11/7/22
अंग्रेजसिंह वाला एडवोकेट

11.07.2022

प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

समस्त प्रकार की जिम्मेवारी हम वारिसान की है।

राजकोष (आईएफएमएस) अनुसार PD A/C NO- 2021-land acquisition officer sriganganagar-2 budjet head 8443-00-106-00-00- व्यक्तिगत जमा में (165620001–150618464) 1,50,01,537 रूपये जमा शेष है।

रीजनल मैनेजर, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन (रीको) के जवाब ईजराय नोटिस दिनांक 20.04.2022 द्वारा अवगत करवाया गया है कि संशोधित अवार्ड दिनांक 18.09.2012 के मुआवजा विवरणपत्र के कम संख्या 12 पर खातेदार सतपाल की कुल 2.404 है0 भूमि की मुआवजा राशि 14121770 रूपये अंकित है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), श्रीगंगानगर द्वारा अवाप्ताधीन 32.826 है0 भूमि में से रास्ते में आई भूमि 0.570 है0 में से मुआवजा विवरण पत्र के कम संख्या 3 पर खातेदार सतपाल की कुल 0.126 है0 भूमि की मुआवजा राशि 362935 रूपये अंकित है। यदि प्रार्थी सतपाल पुत्र देशराज शर्मा निवासी ठाकरांवाली तहसील श्रीगंगानगर को उसकी अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि 14268671 रूपये का भुगतान नही किया गया है तो उसे नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है, श्री रिको को इसमें कोई आपप्ति नही है। किन्तु संशोधित अवार्ड दिनांक 18.09.2012 के मुआवजा विवरण पत्र के कम संख्या 12 पर खातेदार सतपाल की कुल 2.404 है0 भूमि की मुआवजा राशि 14121770 रूपये अंकित है। उक्त अवार्ड में 0.126 है0 रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि 362935 रूपये का वर्णन नही है। भूमि व रास्ते के मुआवजे का योग 14484705 रूपये बनता है, जबकी रीजनल मैनेजर, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन (रीको) द्वारा 14268671 रूपये के भुगतान की अनुमति दी गई है जो कि तर्कसंगत नही है। इसलिए संशोधित अवार्ड दिनांक 18.09.2012 के मुआवजाविवरण पत्र के कम संख्या 12 पर खातेदार सतपाल की कुल 2.404 है0 भूमि की मुआवजा राशि 14121770 रूपय का भुगतान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समस्त जायज वारिसानों द्वारा 50 रूपये के नॉनज्युडीशियल एफीडेविट (AZ 013548) पेश कर संशोधित अवार्ड में 18.09.2012 के अनुसार क्0स0 12 पर अंकित 2.404 है0 भूमि की मुआवजा राशि 1,41,21,770 प्राप्त करने हेतु सहमती दी है।

अतः संशोधित अवार्ड, दिनांक 18.09.2012 के सूची कमांक 12 पर श्रीसतपाल पि0 मु0 देशराज जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा उद्योग विहार श्रीगंगानगर के नाम कुल रकबा 2.404 है0 मौका पर सिंचित अवार्ड राशि 1,41,21,770 रूपये का श्रीसतपाल के जायज चारो वारिसान को संयुक्त रूप से भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को दी जाने वाली सिंचित अवार्ड राशि 1,41,21,770 रूपये पर नियमानुसार टीडीएस/इन्कम टेक्स कटौती कर राशि का भुगतान किया जावे।

कोषाधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली दायरा रजिस्टर से कम [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

11.07.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:03 IST
Reason: SelfAttested